## राजस्थान सरकार
## चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(85)एम.ई./ग्रुप-1/2013 जयपुर, दिनांक : 16 JUL 2018

### आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर पे-मेट्रिक्स में लेवल 14 (56100-177500) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते है। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होगें :-

| क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम व पता | मेरिट संख्या | जन्म तिथि | वर्ग | पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ0 अनुज कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा C/o प. दिनेश शर्मा, प्लाट नं. 75, पटेल विहार विस्तार, नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.) | 05 | 07.08.1985 | सामान्य (EX) | मेडिकल कॉलेज जयपुर |
| 2. | डॉ0 मयंक नामा पुत्र श्री सत्यनारायण नामा, मकान नं. 2 ज 23 टीचर्स कॉलोनी कैशवपुरा कोटा (राज.) -324009 | 11 | 01.02.1982 | पिछड़ा वर्ग | मेडिकल कॉलेज कोटा |
| 3. | डॉ0 सचिन कुमार मीना पुत्र श्री रामरतन मीना, हाउस नं. 4 कार्तिकियान (Kartikiyan) एकेडमी स्कूल के सामने, बालाजी मन्दिर के पास, रंगबाडी कोटा (राज.)। | R-01 | 04.04.1981 | अनुसूचित जनजाति | मेडिकल कॉलेज कोटा |

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तो, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति निम्न शर्त के अध्यधीन होगी:–

" These appointments are subject to the decisions of Civil appeal No. 1467-66/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court."

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर SBCWP No. 8120/2017 डॉ० अमित श्रीवास्तव बनाम राज्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) व अन्य में प्रदत्त अन्तरिम आदेश दिनांक 18.08.2017 में पारित आदेश – " In the meanwhile, if any appointment during the interregnum period is made, the same shall be subject to the ultimate decision and/or any other order passed in the present writ petition.."– के अध्यधीन होगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(33)भर्ती / गोपनीय / 2014–15 / 280 दिनांक 23.08.2017, प. 7(33)भर्ती 'ख' / 2014–15 / 482 दिनांक 01.11.2017 व प.7(33)भर्ती / गोपनीय / 2014–15 / 90 दिनांक 14.05.2018 के संदर्भ में
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव